केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Central Sanskrit University
(संसद के अधिनियम द्वारा पारित)
(Established by An Act of Parliament)
जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)
Jaipur Campus, Jaipur (Rajasthan)

के.सं.वि.ज. / प्रशा. / राजभाषा / 2025–26 / 3057 दिनांकः 19.12.2025

कार्यालय आदेश / Office Order (552)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक के.सं.वि. / रा.का.स / 01 / रा.भा. –2023 / 1422, 1426, 1427 दिनांक 15.12.2025 के निर्देशानुसार समस्त कार्मिकों को निर्देश दिया जाता है कि सरकारी कार्यों के निष्पादन में अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर हिन्दी में करें।

साथ ही समस्त विभाग प्रमुखो को निर्देश है कि राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली 14 मदों अर्थात् संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषी रूप में, हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करें।

साथ ही यह भी निर्देश है कि विभाग की रबर की मोहर, नामपट्ट, पत्र शीर्ष, सरकारी दस्तावेज, विजिटिंग कार्ड, लोगो, साइन बोर्ड आदि को द्विभाषी (पहले हिन्दी एवं बाद में अंग्रेजी) में बनवाया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हिन्दी के फॉन्ट अंग्रेजी की तुलना में बड़े होने चाहिए।

उक्त के संबंध में निगरानी समय–समय पर सक्षम अधिकारी के द्वारा की जाएगी।

/Sd/-
(प्रो. रमाकान्त पाण्डे)
(Prof. Ramakant Pandey)
निदेशक / Director

प्रतिलिपि / Copy to :–

1. समस्त प्राध्यापक एवं कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय, के.सं.वि., नई दिल्ली।
3. सह–निदेशक (शैक्ष. एवं प्रशा.), जयपुर परिसर।
4. समस्त विभाग प्रमुख को आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त मदों के अनुसार कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रशासन विभाग।
6. लेखा विभाग।
7. समन्वयक, I.Q.A.C., जयपुर परिसर।
8. परिसर वेबसाईट।
9. कार्यालय आदेश।
10. सम्बन्धित संचिका।

निदेशक / Director